भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 742
गुरूवार, 05 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

ईपीएफओ योजना में बदलाव

742 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाने पर विचार कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार नए श्रम संहिता के एक भाग के रूप में ईपीएफओ योजना में कोई और बदलाव करने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैराग्राफ 60(1) के अनुसार, ईपीएफओ को प्रत्येक सदस्य के खाते में ऐसी दर पर ब्याज जमा करना अपेक्षित है, जो केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से निर्धारित की जाए।

इसके अतिरिक्त, योजना के पैराग्राफ 60(4) के अनुसार, "ब्याज दर निर्धारित करते समय, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा किए गए ब्याज के डेबिट परिणामस्वरूप ब्याज खाते में कोई अधिक निकासी नहीं हो।"

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 164(2)(ख) के अनुसार, मौजूदा ईपीएफओ योजनाएं संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत न होने की सीमा तक, संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगी।
